

- ✓ संस्था को फा.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.आई. से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश मान्यता द्वारा बनाये गये विधिविषयो.अभियोगो.वाचकदेसो.निर्देशो एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरप्र. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तरप्र तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्र द्वारा बनये गये नियमों, विधिविषयों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पी.सी.आई. आई. दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई सहायता प्राप्त है तथा दूसरे चरण के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व फा.आई.सी.टी.ई.टी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद काउन्सिलिंग को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से) अनाथ संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सूचीबद्ध आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साक्ष्य-सामग्री, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, साधनार्थ सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त साधनगत उपलब्ध करने के साथ रेगुलर रौलने के सम्बन्ध में छात्रसह-आवश्यक अवसर सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु विदेशिय शक्ति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आवक, फार्मिया, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघटन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साक्ष्य-सामग्री फा.आई.सी.टी.ई.टी.पी.सी.आई.आई.परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु.सं. प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्राविधिक-

उपलब्धता/निदेशक SARASWATI HIGHER EDUCATION & TECHNICAL COLLEGE OF PHARMACY GAGANI, POST-AYAR VARANASI-221210



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय

सकिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ दिनांक 30/08/2022

आर्वाइटीसी

अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय अथवा इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंटिकल नंबर 2022-23 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पठ्यक्रम प्रवेश क्षमता सुनिश्चित अन्य शर्तों पर विचार करने हेतु सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्यो गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4892-SARASWATI HIGHER EDUCATION & TECHNICAL COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पठ्यक्रम का नाम	एउआर्वाइटीसीआईटी पीसीआईटी द्वारा सत्र 2022- 23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एउआर्वाइटीसीआईटीपीसीआईटी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1962, विनियमसूची-2000, सेमेस्टर विनियमसूची-2016 तथा समय-समय पर निर्गम शासकश्रेणियों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय राजकीय पठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पठ्यक्रमों (दो वर्षीय राजकीय पठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से जमा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासकश्रेणियों प्रकटी होने, और तदनुसार कार्यावली किया जाना आवश्यक होगा। प्रोक्त निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तं प्रोक्त की नवीनतम देने जायु होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासकश्रेणियों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविनियमों/अतिविनियमों/शासकश्रेणियों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विनियमों, निर्देशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का एम.एड. (नॉन-टीचिंग/टीचिंग) में अनुसंधान निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में कोई उपसहायक संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था कार्य उपसहायी होने पर प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में डॉ. व्यापक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अवेक नमिल किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश एवं प्रवेश हेतु आवेदनिका काउन्सिलिंग प्रवेश होने के पूर्व एम.एड. (नॉन-टीचिंग/टीचिंग) में अनुसंधान प्रारंभ कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा) के आधार पर प्रवेश प्रवेश अनुसंधान प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त संस्था पर निर्मित नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्थापना, साक्षात्कार, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुद्रा, छात्रावास मुद्रा आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध बनाने के साथ रैजिस्ट्रार के संबंध में समस्त आवश्यकताओं का सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित परियोजना को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराया गये अभिलेख, भूमि-भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के संशोधन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की संबद्धता समाप्त किया जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकारियों निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साक्षात्कार एम.एड. (नॉन-टीचिंग/टीचिंग) परिषद के समस्त उपकरण उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को संबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ संबद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की कतिपय में निम्नानुसार अनुसंधान संबंधित कार्यवाही की जायेगी।

(एफ.ओ.आर.0 खान)

अधिसूचना

एफ.ओ.आर.0-परिषद संख्या:2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठान:-

एम.एड. (नॉन-टीचिंग) SARASWATI HIGHER EDUCATION & TECHNICAL COLLEGE OF PHARMACY

(एफ.ओ.आर.0 खान)

अधिसूचना

